रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप -खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2340] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 17, 2019/आषाढ़ 26, 1941
No. 2340] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 17, 2019/ASHADHA 26, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2019

का.आ. 2569(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 26क, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 26 क और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 22ग द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित न्यायालयों के ऊपर अधिकारिता रखने वाले माननीय उच्च न्यायालयों के संबंधित मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा उल्लिखित संबंधित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उपरोक्त अधिनियमों के अधीन उक्त न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रुप में पदाभिहित करती है :-

सारणी

क्रम सं.	विद्यमान न्यायालय	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, इम्फाल पूर्व	मणिपुर राज्य
2.	अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय II, पुड्डुचेरी	पुड्डुचेरी संघ राज्य क्षेत्र

[फा. सं. 10/49/2017-भाग]

आनंद मोहन बजाज, संयुक्त सचिव (वित्तीय बाजार)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2019

S.O. 2569(E).—In exercise of the powers conferred by section 26A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), section 26A of the Securities Contract (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and section 22C of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Central Government, after obtaining the concurrence of the respective Chief Justices of the Hon'ble High Courts having jurisdiction over the courts mentioned in column (2) in the Table below, hereby designates the said courts as Special Courts under the aforesaid Acts to exercise jurisdiction in the respective State and Union Territory, as mentioned in corresponding entry in column (3) thereof, namely:-

TABLE

S.No.	Existing Court	Jurisdiction as Special Court
(1)	(2)	(3)
1.	Court of Sessions Judge, Imphal East	State of Manipur
2.	II Additional District and Sessions Court, Puducherry	Union territory of Puducherry

[F.No.10/49/2017 (Part)]

ANAND MOHAN BAJAJ, Jt. Secy. (Financial Markets)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2019

का.आ. 2570(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 26क, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 26क और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 22ग द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) का.आ. 1060(अ), तारीख 21 अप्रैल 2015 और का.आ. 1618(अ), तारीख 17 जून 2015 की अधिसूचना का अधिक्रान्त करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, माननीय बम्बई उच्च न्यायालय की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् महाराष्ट्र राज्य में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियमों के अधीन न्यायालय संख्या 22, सिटी सिविल और सेशन न्यायालय, मुंबई और न्यायालय संख्या 39, सिटी सिविल और सेशन न्यायालय, वृहत मुंबई को विशेष न्यायालय के रुप में पदाभिहित करती है।

[फा. सं. 10/49/2017-भाग]

आनंद मोहन बजाज, संयुक्त सचिव (वित्तीय बाजार)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2019

S.O. 2570(E).—In exercise of the powers conferred by section 26A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), section 26A of the Securities Contract (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and section 22C of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) and in suppression of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), number S.O. 1060(E), dated the 21st April 2015 and S.O. 1618(E), dated the 17th June 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government, after obtaining the concurrence of the Hon'ble High Court of Bombay, hereby designates, Court No. 22, City Civil and Sessions Court, Mumbai and Court No. 39, City Civil and Sessions Court, Greater Mumbai as Special Courts under the aforesaid Acts to exercise the jurisdiction throughout the State of Maharashtra.

[F. No. 10/49/2017 (Part)]

ANAND MOHAN BAJAJ, Jt. Secy. (Financial Markets)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.07.18 21:31:46 +05'30'